न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी— **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व वाद—पत्र संख्या : 37 / 2020
रज्जु दिनांक : 01 / 07 / 2020
निर्णय दिनांक : 09/11/2020

रामरतन पुत्र हरदेव, जाति जाट, निवासी बागेत, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— वादी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र केसरा, जाति जाट, निवासी बागेत, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. रामकरण पुत्र केसरा, जाति जाट, निवासी बागेत, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955)

उपस्थिति — **श्री हरीश कुमार साहू**
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री दिनेश कुमार
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 09/11/2020

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28 / 07 / 2020 को प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया गया जिसमें यह निर्णय किया गया कि ''अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 116 के आराजी खसरा नम्बर 50, 51 कुल किता 02 कुल रकबा 4.7800 हैक्टेयर वाके ग्राम बागेत, तहसील मौजमाबाद का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 के मध्य पक्षकारान की सहमति से मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा—अलहदा किया जाकर तहसीलदार

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।''

तहसीलदार मौजमाबाद के पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/2756 दिनांक 20/08/2020 के द्वारा नक्शे कुरेजात प्राप्त होने के पश्चात शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात का अवलोकन कर सही होना जाहिर किया।

अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद यदि अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया जाता है, तो अधिवक्ता पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार मौजमाबाद से प्राप्त नक्शे कुरेजात का गहनता से अवलोकन किया। नक्शे कुरेजात मुताबिक आदेश के अनुसार तैयार होकर प्राप्त हुये हैं। नक्शे कुरेजात पक्षकारान के सहमति बाबत हस्ताक्षर भी हैं। अधिवक्ता पक्षकारान ने भी मुताबिक तहसीलदार मौजमाबाद के नक्शे कुरेजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन से मुताबिक नक्शे कुरेजात अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बागेत, तहसील मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात के अनुसार बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा है.में
1.	रामरतन पुत्र हरदेव, जाति जाट सा0 देह राहिन यूको बैंक शाखा दूदू मूर्तहीन।	50	0.6933
		51	0.9000
		कुल किता 2	कुल रकबा 1.5933 हैक्टेयर
2.	रामकरण पुत्र केसरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह। लक्ष्मण पुत्र केसरा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह।	50	1.7467
		51	1.4400
		कुल किता 2	कुल रकबा 3.1867 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रैक) दूदू

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/11/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

लत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)
पुत्र हरदेव जाति जाट नि. बागेट तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज. बनाम (1) लक्ष्मण पुत्र केसरा जाति जाट नि. बागेट तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज.। (2) रामकरण पुत्र केसरा जाति जाट, नि. बागेट तह. मौजमाबाद जिला जयपुर (राज.) (3) TDR MOZMABAD

दावा बाबत

मुकदमा नं. 37/2020 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीश कुमार साहू Adv.

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री दिनेश कुमार Adv.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी न बागेट, तह. मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य मुताबिक नक्शे कुरेजात के बंटवारा किया जाकर खाता अलहदा - अलहदा निम्न प्रकार किया जाता है:

मुबलिग ... बाबत ...

स मुकदमें के गय सूद बशरह ... फीसदी ... आज की तारीख से

अदायगी तक ... का अदा करें।

तसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ... माह ... सन् ... को

दी गई।

दस्तखत [signature] सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
ताना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
फरिक					
मीज़ान			मीज़ान		

इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।